ता[redacted] पता : "मिनीस्टील"
Telegraphic Address : "MINISTEEL"

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

सं 0 ______________

No. ______________

सं. 26020/3/2007- सा.प्रशा.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL
उद्योग भवन
UDYOG BHAWAN

नई दिल्ली-110011
New Delhi-110011

दिनांक 20 जुलाई, 200

सेवा में

संलग्न सूची के अनुसार

विषय : इस्पात मंत्रालय में अनुबंध आधार पर कार चालक उपलब्ध कराने के संबंध में मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करनें के संदर्भ में ।

महोदय

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस्पात मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार चालक उपलब्ध कराने के संबंध में मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने का निदेश हुआ है । अगर आपकी फर्म इस कार्य के निष्पादन के लिए संलग्न शर्तों के आधार पर आवेदन करने के लिए इच्छुक है तो अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक **17/08/2007 सुबह 11.00 बजे** तक भेज दें । निविदाएँ आवेदक फर्मो के इच्छुक उपस्थित प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक **17/08/2007 को ही सुबह 11.30 बजे खुलेंगी** ।

2. इस्पात मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

3. निविदा के साथ Pay and Accounts Officer, Ministry of Steel के नाम देय रुपए 10000/- का डिमांड ड्राफट संलग्न किया जाना आवश्यक है । अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जाएगा ।

4. **लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में 'चालक के लिए निविदा' लिखा होना चाहिए ।**

भवदीय,

(दर्शन कुमार सोलंकी)
अनुभाग अधिकारी
(द) 23062537

कार चालक उपलब्ध कराने के संबंध में नियम एवं शर्तें

1 चालक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो

2 मोटर कार के लिए मान्य ड्राईविंग लाइसेंसधारी हो

3 स्टाफ कार में छोटे दोषों को ठीक करने की जानकारी रखता हो

4 किसी अच्छे संगठन में वाहन चालक के रुप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखता हो

5 कम से कम आठवीं कक्षा पास हो तथा लॉग बुक को लिखने में सक्षम हो

6 चालक उपलब्ध कराने वाली फर्म को रुपए 10,000/- की जमानत राशि वेतन एवं लेखा अधिकारी, इस्पात मंत्रालय के नाम जमा करानी होगी

7 उघोग भवन के 8 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले एवं सेना अथवा किसी अन्य सुरक्षा संगठन से सेवानिवृत्त चालक को प्राथमिकता दी जाएगी ।

8 चालक को मासिक अथवा दैनिक आधार पर कार्य पर बुलाया जा सकता है । आवश्यकता न होने की स्थिति में चालक को कार्य पर नहीं बुलाया जाएगा ।

9 निविदा के साथ फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।